सिविल विविध

माननीय न्यायाधीश श्री भूपिंदर सिंह ढिल्लों और श्री हरबंस लाल के समक्ष

अमेरहेड़ी सहकारी कृषि सेवा

1

समाज और अन्य, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य, आदि, - उत्तरदाता।

1976 की सिविल रिट संख्या **518**

31 मार्च, **1976**

पंजाब सहकारी समिति अधिनियम (1961 का XXV) (1911 के अधिनियम 13 द्वारा हरियाणा में यथा संशोधित) - धारा 13 (8) से 13 (12) - क्या प्रस्तावित समामेलन की सूचना - क्या समिति, उसके सदस्यों और लेनदारों को दी जानी चाहिए - इस तरह की नोटिस - क्या प्रभावित होने की संभावना वाली सभी समितियों के बारे में आवश्यक जानकारी होनी चाहिए।

अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 की धारा 13 की उप-धारा (8) को पढ़ने से पता चलता है कि विधायिका ने सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के समामेलन या विभाजन का आदेश पारित करने के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को पर्याप्त दिशा-निर्देश दिए हैं। अधिनियम की धारा 8 के तहत, रजिस्ट्रार को सहकारी समिति को पंजीकृत करने की शक्तियां दी गई हैं और इस बात पर विचार करते समय कि क्या सहकारी समिति को पंजीकृत करने का आदेश दिया जाना चाहिए या नहीं, उसे इस बात पर विचार करना है कि प्रस्तावित समिति की सफलता की उचित संभावना है या नहीं। धारा 13 को विधायिका द्वारा सहकारी समितियों को नया रूप देने के लिए उपचारात्मक उपायों का पता लगाने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया है, जिन पर उस धारा के प्रावधान लागू हो सकते हैं। धारा 13 की उप-धारा (1) से (7) स्वैच्छिक समामेलन, परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण और सहकारी समितियों के विभाजन से संबंधित है; जबकि विधानमंडल ने धारा 13 की उप-धाराओं (8) से (12) को अधिनियमित करके रजिस्ट्रार को उसी उद्देश्य को प्राप्त करने की शक्ति दी है जिसे किसी सोसाइटी के सदस्य धारा 13 की उपधारा (1) से धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। चीजों की प्रकृति में, विधायिका अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) में प्रदान किए गए दिशा-निर्देशों की तुलना में कोई और दिशानिर्देश प्रदान नहीं कर सकती है। इस धारा के तहत कोई भी आदेश पारित करने से पहले, रजिस्ट्रार को संतुष्ट होना होगा कि समाज या समाजों के हित में यह आवश्यक या वांछनीय है, कि दो या दो से अधिक समितियों को समामेलित किया जाए या किसी भी समाज को दो या अधिक समितियों के रूप में विभाजित किया जाए। संबंधित समितियों के संविधान, संपत्ति, अधिकारों, ब्याज, देनदारियों, कर्तव्यों और दायित्वों और उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, रजिस्ट्रार किसी विशेष मामले में एक राय बना सकता है कि इस उप-धारा के तहत आगे बढ़ना है या नहीं। फिर, उक्त प्रावधान केवल इसलिए मनमाने नहीं हैं क्योंकि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के तहत पारित रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ कोई अपील प्रदान नहीं की गई है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अपील का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और विधायिका, अपने विवेक से, किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में, अर्ध-न्यायिक प्रकृति के आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान कर सकती है और किसी अन्य मामले में, अपील का उक्त उपाय उपलब्ध नहीं हो सकता है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 13 (8) से 13 (12) के प्रावधान अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं हैं।

(पैरा **13** और **14)**।

अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (9) के उप-खंड (ए) के तहत, प्रस्तावित आदेश की एक प्रति सोसायटी या प्रत्येक संबंधित सोसायटी को ड्राफ्ट में भेजी जानी चाहिए, लेकिन इस धारा का उप-खंड (बी) किसी सदस्य या समाज के सदस्यों के एक वर्ग को, या सोसायटी के प्रस्तावित समामेलन या विभाजन पर आपत्ति उठाने के लिए लेनदार या लेनदारों के वर्ग को अधिकार देता है, जैसा भी मामला हो। अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (11) आगे संबंधित सोसायटी के प्रत्येक सदस्य या लेनदार को, जिसने समामेलन या विभाजन की योजना पर आपत्ति जताई थी, जैसा कि मामला निर्दिष्ट अवधि के भीतर हो, समामेलन या विभाजन के आदेश के मुद्दे पर निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त करने का अधिकार देता है। यदि वह सदस्य है तो उसका हिस्सा या ब्याज, और यदि

*वह लेनदार है, तो उसके बकाया की संतुष्टि में राशि। धारा **13** की उप-धारा **(9)** के उप-खंड (बी) और धारा **13** की उप-धारा **(11)** अनिवार्य प्रावधान हैं जो अधिनियम की धारा **13** की उपधारा **(8)** के तहत पारित किए जाने वाले आदेश से प्रभावित होने वाले समितियों के सदस्यों और लेनदारों को एक मूल्यवान अधिकार प्रदान करते हैं और उक्त अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता है यदि सदस्यों और लेनदारों को मसौदे में भेजे गए प्रस्तावित आदेश की प्रति प्रदान नहीं की जाती है। कि वे अधिनियम की धारा **13** की उप-धारा **(9)** के उप-खंड (बी) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्तियां उठाने की स्थिति में हैं। धारा **13** की उप-धारा **9** का उप-खंड **(1**(बी) रजिस्ट्रार को मसौदे में ऐसे संशोधन करने का अधिकार देता है या जो निर्धारित अवधि के भीतर उसे प्राप्त होने वाले किसी भी सुझाव और आपत्तियों के प्रकाश में वांछनीय लग सकता है। सोसायटी से या ऐसे किसी सदस्य या सदस्यों के वर्ग से, या किसी लेनदार या लेनदारों के वर्ग से। अधिनियम की धारा **13** की उप-धाराओं **(8)** से **(12)** के तहत कार्यवाही अर्ध-न्यायिक प्रकृति की है और अधिनियम की उप-धारा **(9)** के उप-खंड (बी) और धारा **13** की उप-धारा **11** के प्रावधान सदस्यों और लेनदारों को आपत्तियां उठाने और सदस्यों के रूप में सोसायटी से वापस लेने या लेनदारों के रूप में जमा की गई राशि को वापस लेने का मन बनाने में सक्षम बनाते हैं। सदस्यों और लेनदारों को वही अधिकार उपलब्ध कराया गया है यदि सोसायटी स्वयं समामेलन या विभाजन का निर्णय लेती है, जैसा कि अधिनियम की धारा **13** की उप-धारा **(1)** से **(7)** के प्रावधानों से स्पष्ट है। इस प्रकार, सोसाइटी, उसके सदस्यों और लेनदारों को इस तरह दिए गए अधिकार का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, प्रस्तावित आदेश की एक सूचना सोसाइटी, उसके सदस्यों और लेनदारों को दी जानी चाहिए।*

(पैरा 15)।

*अभिनिर्धारित किया गया कि प्रस्तावित आदेश की प्रति को सोसाइटी, उसके सदस्यों या लेनदारों पर मसौदे में परोसने का उद्देश्य उन्हें समाज से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार करने के बाद आपत्तियां या सुझाव उठाने का एक प्रभावी अवसर प्रदान करना है, जिसके साथ समाज को समामेलित करने का प्रस्ताव है और समाज से संबंधित ऐसे अन्य प्रासंगिक मामले जो समामेलित या विभाजित होने जा रहे हैं। अधिनियम की धारा **13** की उप-धारा **(8)** के तहत पारित आदेश में समाज या समाजों के अस्तित्व में आने वाले संविधान, संपत्ति, अधिकार, हित, देनदारियों, कर्तव्यों और दायित्वों का प्रावधान करना है। प्रस्तावित आदेश की एक प्रति में आदेश से प्रभावित होने वाली सोसायटी या सोसाइटियों के बारे में यह सारी जानकारी भी होनी चाहिए। इन मामलों से सोसायटी या उसके सदस्यों या लेनदारों को अवगत कराए जाने के बाद ही वे आपत्तियां उठाने और सुझाव देने और सदस्यता से हटने या अपनी जमा राशि वापस लेने का मन बनाने की स्थिति में हो सकते हैं। यदि संबंधित समाज या समाजों के संविधान, संपत्ति, अधिकारों, हितों, देनदारियों, कर्तव्यों और दायित्वों से संबंधित प्रासंगिक सामग्री को ज्ञात नहीं किया जाता है, तो प्रावधानों के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि सोसाइटी, उसके सदस्यों या लेनदारों द्वारा कोई भावात्मक आपत्तियां और सुझाव नहीं दिए जा सकते हैं।*

(पैरा 16)

*भारत के संविधान के अनुच्छेद **226/227** के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि: –*

(i) *आक्षेपित नोटिस (अनुबंध पी/3) और अंतिम आदेश (अनुलग्नक पी/5) को प्रमाणपत्र, परमादेश, निषेध या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में रिट के माध्यम से रद्द किया जाए;*

(ii) *धारा **13 (8)** से धारा **13 (12)** के प्रावधानों को कानून के दायरे से बाहर मानते हुए निरस्त किया जाए;*

(iii) *लागू आदेश के संचालन पर रोक लगाई जाए और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे अहिरका सहकारी कृषि सेवा सोसायटी के साथ सोसाइटी की संपत्ति और देनदारियों को स्थानांतरित करने की दिशा में कोई कदम न उठाएं और सोसाइटी के उनके पंजीकरण को इस रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक रद्द नहीं किया जा सकता है।*

(iv) *कोई अन्य उचित राहत, जिसके लिए याचिकाकर्ता को इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मामले की परिस्थितियों में हकदार पाया जाता है, को भी दिया जाए;*

(v) *याचिकाकर्ता को याचिका की लागत दी जाए।*

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट एन. एस. अहलावत के साथ प्रेम सिंह।

हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता सी. डी. दीवान और हरियाणा के वरिष्ठ उप महाधिवक्ता एच. एन. मेहतानी ने *प्रतिवादियों की ओर से सुनवाई की।*

निर्णय

जन्म। *एस ढिल्लों, न्यायाधीश ।*

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस याचिका में, निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गई हैं: – 3

   (i) यह नोटिस 5 दिसंबर को जारी किया गया है। जिसकी प्रति अनुलग्नक 'पी-3' है; और 2 जनवरी, 1976 के अंतिम आदेश, जिसकी प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक 'पी -5' है, को रद्द किया जाए।

   (ii) पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (हरियाणा राज्य द्वारा यथा संशोधित) की धारा 13 (8) से धारा 13 (12) के प्रावधानों को *कानून* के दायरे से बाहर के रूप में निरस्त किया जाए।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य अब बताए जा सकते हैं। याचिकाकर्ता नंबर 1 पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति है, जैसा कि हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधित किया गया है (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित)। याचिकाकर्ता नंबर 2 इसकी समिति के सदस्य हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उक्त सोसाइटी का गठन लगभग 40 साल पहले सहकारी सिद्धांतों पर अपने सदस्य के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। याचिकाकर्ता-सोसायटी वर्ष-दर-वर्ष उत्कृष्ट प्रगति दिखा रही थी और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर थी, एक व्यवहार्य इकाई थी और इस प्रकार सोसाइटी के संचालन के क्षेत्र में अन्य निवासियों के साथ अपने सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही थी। समाज सभी प्रकार की आंतरिक और बाहरी कठिनाइयों से मुक्त था और सुचारू रूप से चल रहा था। 7 दिसंबर, 1975 को, याचिकाकर्ता-समिति को प्रतिवादी नंबर 3, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जींद से एक नोटिस मिला, जिसमें याचिकाकर्ता-समिति को दो अन्य समितियों, अर्थात् कैर खेड़ी सहकारी कृषि सेवा समिति और झामज खुर्द सहकारी कृषि समिति के साथ अहिरका सहकारी कृषि सेवा समिति के साथ विलय का प्रस्ताव दिया गया था। उक्त नोटिस की प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक 'पी-3' में दी गई है।

3. याचिकाकर्ता-समाज की प्रबंध समिति ने 8 दिसंबर, 1975 को एक बैठक की और समामेलन के प्रस्ताव पर आपत्ति करने का संकल्प लिया। समिति ने यह दिखाने के लिए प्रस्ताव में कई बिंदुओं को शामिल किया कि याचिकाकर्ता-सोसायटी कुशलता से चल रही थी और व्यवहार्य सोसाइटी थी, इसलिए इसे समामेलित नहीं किया जा सकता है। इस संकल्प की प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक पी-4 में दी गई है। सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जींद (प्रतिवादी संख्या 3) ने 2 जनवरी, 1976 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता-सोसायटी और ऊपर उल्लिखित दो अन्य समितियों को अहिरका सहकारी कृषि सेवा सोसायटी के साथ विलय करने का आदेश देते हुए अंतिम आदेश जारी किए । इस आदेश की प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक 'पी-3' में दी गई है।

4. याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1, राज्य सरकार और प्रतिवादी संख्या 2 रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, हरियाणा, चंडीगढ़ ने हरियाणा राज्य में कृषि सेवा समितियों की संख्या लगभग 6,600 से घटाकर लगभग 2,000 कृषि सेवा समितियों तक करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, राज्य सरकार और रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा तैयार की गई उपरोक्त नीति के अनुसरण में समामेलन आदेश पारित किया गया है।

5. सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जींद (प्रतिवादी संख्या 3) की ओर से रिटर्न दाखिल किया गया है। रिटर्न में यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी No_ 3 के कार्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध निरीक्षण नोट के अनुसार, सोसाइटी के अधिकांश सदस्य, जो अग्रिम ऋण थे, ने नियत तारीख तक इसे चुकाया नहीं था। इसलिए, इस बात से इनकार किया गया कि सोसायटी उत्कृष्ट प्रगति दिखा रही थी। यह भी उल्लेख किया गया है कि 1969 में भारत सरकार ने सहकारी ऋण संबंधी समिति की सिफारिशों के आधार पर व्यवहार्य इकाइयों के गठन के लिए प्राथमिक कृषि सेवा समितियों के पुनर्गठन के संबंध में एक नीति तैयार की थी। इस नीति के तहत, भारत सरकार ने सोसायटी की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित मानदंड ोां का सुझाव दिया -

   (i) पूर्णकालिक वेतन प्राप्त सचिव की नियुक्ति।

(ii) किसी भवन का नियमित कार्यालय जिसका स्वामित्व या किराए पर लिया गया हो ।

(iii) आवश्यक समझे जाने वाले पैमाने पर वैधानिक और अन्य भंडार में योगदान करने की क्षमता।

(iv) उचित लाभांश का भुगतान करने की क्षमता।

(v) व्यवसाय की मात्रा, जिसे आवश्यक माना जाता है।

(vi) गोदाम का प्रावधान।

यह भी उल्लेख किया गया है कि उपर्युक्त सिफारिशें छह वर्षों की अवधि से राज्य सरकार और सहकारिता विभाग का ध्यान आकषत कर रही हैं और इस मामले पर विभाग के अधिकारियों की विभिन्न बैठकों में चर्चा की गई थी और यह प्रस्ताव किया गया था कि कृषि सेवा समितियां जिनके पास एक वर्ष में ऋण व्यवसाय को तीन लाख रुपये तक बढ़ाने की क्षमता है और सरकार द्वारा प्रस्तावित उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। भारत सरकार को व्यवहार्य इकाइयों के रूप में माना जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि अधिकतम ऋण सीमा के मामलों को तैयार करने में सुविधा के लिए समितियों के संचालन के क्षेत्र को पटवार सर्किलों के साथ जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि अधिकतम क्रेडिट सीमा मामले पटवारियों के पास उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार यह आरोप लगाया गया है कि राज्य की बदलती सामाजिक-आथक संरचना के साथ तालमेल रखने के लिए सहकारी समितियों के सदस्यों के हित में पूरी योजना तैयार की गई है। यह भी कहा गया है कि उप-पंजीयकों और सहायक पंजीयकों की बैठक 1 दिसंबर, 1975 को बुलाई गई थी, ताकि ऊपर उल्लिखित योजना के उद्देश्यों और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताया जा सके। यह कहा गया है कि अंतिम आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता-सोसायटी के प्रतिनिधियों को सुना गया था और चर्चा के दौरान वे समामेलन आदेश की वैधता के बारे में संतुष्ट महसूस कर रहे थे।

6. प्रतिवादी संख्या -3 का अतिरिक्त हलफनामा अदालत की अनुमति से दायर किया गया था। अतिरिक्त हलफनामे में यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, चंडीगढ़, 16 सितंबर, 1975 के क्रेडिट/बीए3/27-एच/52959-52959-53000 ने भारत सरकार द्वारा गठित सहकारी ऋण समिति की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के पुनर्गठन के लिए उत्तर देने वाले उत्तरदाता को दिशा-निर्देश भेजे। अतिरिक्त हलफनामे में यह दोहराया गया है कि एक व्यवहार्य सहकारी कृषि सेवा समिति के लिए मोटे तौर पर निम्नलिखित मानदंड सुझाए गए थे -

(i) ब्लॉक प्रशासनिक इकाई को बरकरार रखा जाना चाहिए यानी सोसाइटी को ब्लॉक के बाहर के गांवों को कवर नहीं करना चाहिए।

(ii) एक व्यवहार्य या संभावित रूप से व्यवहार्य समाज का चयन किया जाना चाहिए जिसमें आस-पास के कमजोर समाजों को समामेलित किया जाना है।

(iii) संचालन के क्षेत्र को इस तरह चुना जाना चाहिए कि एक वर्ष में कम से कम तीन लाख रुपये के ऋण व्यवसाय की संभावना हो।

(iv) स्थानीय समरूपता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(v) जिन सोसाइटियों के पास अपने गोदाम या कार्यालय हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है।

(vi) कमजोर सोसाइटियों को समामेलित अथवा परिसमापन किए जाने वाले ऋणों की उन्नति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

(vii) बड़े गांव में, एक से अधिक पटवार सर्कल हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक व्यवहार्य सोसायटी नहीं होनी चाहिए।

7. इसके बाद सहायक रजिस्ट्रार ने 17 सितंबर को पत्र भेजा। (ख) व्यवहार्य सहकारी कृषि सेवा समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निरीक्षकों, सहकारी समितियों को उक्त दिशा-निर्देशों के साथ 1975 में संशोधन किया गया था। नतीजतन, निरीक्षक सहकारी समितियां, जींद ने अहिरका सहकारी कृषि सेवा समिति के साथ निम्नलिखित समितियों के समामेलन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया: –

(i) कैर खेड़ी सहकारी कृषि सेवा समिति।

(ii) अमर हेरी सहकारी कृषि सेवा समिति। (याचिकाकर्ता सोसाइटी)।

(iii) झांझ खुर्द सहकारी कृषि सेवा समिति।

8. सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिवादी संख्या 3 ने आक्षेपित नोटिस दिया, जिसकी प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक 'पी -3' है, जिसमें याचिकाकर्ता-सोसाइटी और अन्य दो समितियों से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिन्हें अहिरक सहकारी कृषि सेवा समिति के साथ विलय करने का प्रस्ताव दिया गया था। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता सोसाइटी ने पहले 7 दिसंबर, 1975 के संकल्प की एक प्रति भेजी, समामेलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया और फिर 8 दिसंबर, 1975 को एक और प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा उसने प्रस्तावित समामेलन के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने का फैसला किया, प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत करना आवश्यक समझा और निरीक्षक सहकारी समितियों के माध्यम से उनके लिए भेजा। जींद, सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने कई आपत्तियां उठाईं, जिन पर सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा विचार किया गया, और फिर अंतिम आक्षेपित आदेश, जिसकी प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक 'पी -5' है, पारित किया गया। सहायक रजिस्ट्रार के समक्ष याचिकाकर्ता-सोसायटी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को संक्षेप में कहा गया है: –

(i) यह कि याचिकाकर्ता-समिति की कार्यशील पूंजी शेयर, प्रतिभूति और मुनाफे सहित लगभग 50,000 रुपये थी और याचिकाकर्ता-समिति को अहिरका सहकारी कृषि सेवा समिति की कार्यशील पूंजी के बारे में पता नहीं था, जिसके साथ इसे समामेलित करने का प्रस्ताव था।

(ii) यह कि याचिकाकर्ता-समिति के रोल में 235 सदस्य थे, जबकि अहिरका सहकारी कृषि सेवा समिति के सदस्यों की संख्या ज्ञात नहीं थी।

(iii) याचिकाकर्ता सोसायटी ने स्थानीय संस्थानों जैसे मारू राजपूत सभा धर्मशाला और लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि से संबंधित 4,000 रुपये जमा किए थे।

(iv) याचिकाकर्ता सोसायटी को 30 जून, 1975 को 27,000 रुपये का लाभ हुआ था।

(v) यह कि याचिकाकर्ता-सोसायटी में गांव के प्रत्येक परिवार का लगभग एक सदस्य था, इसके सदस्य के रूप में और इस प्रकार पूरे गांव की सेवा कर रहा था।

(vi) कि याचिकाकर्ता-सोसायटी का कार्यालय जींद से आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित था।

(vii) कि याचिकाकर्ता-सोसायटी अपना एक गोदाम बनाने के लिए सहमत हो गई।

(viii) यह कि याचिकाकर्ता-सोसायटी अपने सदस्यों को आटा, नियंत्रित कपड़ा और मिट्टी के तेल जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित कार्य करने के लिए तैयार थी।

(ix) यह कि याचिकाकर्ता-सोसायटी का गठन वर्ष 1935 में किया गया था और एक पुरानी सोसाइटी होने के नाते, इसके सदस्य सहयोग के सिद्धांतों में विश्वास करते थे और सरकार की नीति में गहरा विश्वास रखते थे।

(x) याचिकाकर्ता सोसायटी ने वर्ष 1962 में राष्ट्रीय रक्षा कोष में धनराशि दान की थी।

(xi) याचिकाकर्ता समिति ने केंद्रीय सहकारी बैंक के 2,600 रुपये के शेयर खरीदे थे और बचत बैंक खाते में 5,000 रुपये की राशि भी थी।

(xii) याचिकाकर्ता सोसायटी ने कोऑपरेटिव मार्केटिंग-कम-प्रोसेसिंग सोसाइटी, जींद के शेयर खरीदे थे और मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से अपनी उपज बेचने की सुविधाओं का लाभ उठा रही थी।

(xiiii) याचिकाकर्ता सोसायटी ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के शेयर खरीदे थे।

9. उपर्युक्त आपत्तियों को प्रस्तुत करके, याचिकाकर्ता-सोसायटी के प्रतिनिधि वास्तव में इस बात पर जोर देना चाहते थे कि सोसायटी अच्छी तरह से आधारित थी और एक व्यवहार्य इकाई थी। चूंकि आक्षेपित नोटिस में अहिरका सहकारी कृषि सेवा समिति के बारे में आवश्यक विवरण शामिल नहीं थे, जिसके साथ याचिकाकर्ता सोसाइटी का विलय होने जा रहा था, इसलिए, सहायक रजिस्ट्रार के अतिरिक्त हलफनामे से यह स्पष्ट है कि उन्होंने अहिरका सहकारी कृषि सेवा समिति के बारे में याचिकाकर्ता-सोसायटी के कथित प्रतिनिधियों को उपरोक्त सभी बिंदुओं के बारे में आवश्यक जानकारी दी। सहायक रजिस्ट्रार के अतिरिक्त हलफनामे में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता-सोसायटी के प्रतिनिधियों ने संतुष्ट महसूस किया हालांकि, याचिकाकर्ता सोसाइटी के कथित प्रतिनिधियों के नामों का खुलासा अतिरिक्त हलफनामे में नहीं किया गया है, न ही इसका खुलासा किया जा सकता है जब हमने विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सीडी दीवान से पूछा। हरियाणा राज्य की ओर से पेश हुए।

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री प्रेम सिंह द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर तर्क दिया गया है: –

(1) हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा आज तक संशोधित अधिनियम की धारा 13 की उप-धाराओं (8) से (12) के प्रावधान *अधिकार क्षेत्र से बाहर* हैं क्योंकि वे अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से ग्रस्त हैं।

2) यदि उपर्युक्त अधिनियम के संशोधित प्रावधान परस्पर संबद्ध हैं, *तो* भी उक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है और प्रस्तावित समामेलन के लिए एक नोटिस सोसायटी को, उसके सभी सदस्यों को, उसके लेनदारों को दिया जाना चाहिए था और यह कि सोसायटी को वित्तपोषित करने वाली वित्तीय संस्थाओं से भी परामर्श किया जाना चाहिए था।

3) यह कि आक्षेपित आदेश, जिनकी प्रतियां रिट याचिका के अनुलग्नक 'पी -3' और 'पी -5' हैं, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि समामेलन के प्रस्तावित आदेश में समामेलन आदेश में शामिल समितियों के गठन, संपत्ति, अधिकारों, हितों, देनदारियों, कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में उल्लेख किया जाना चाहिए था, ताकि याचिकाकर्ता सोसाइटी, इसके सदस्य और, इसके लेनदार समामेलन आदेश में शामिल समितियों के आवश्यक विवरणों के बारे में जानने में सक्षम थे।

4) यह कि आक्षेपित आदेश कानूनी *दुर्भावना* से ग्रस्त हैं क्योंकि वे अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) में उल्लिखित दिशानिर्देश को ध्यान में नहीं रखते हुए पारित किए गए हैं, बल्कि इसके बजाय इसे उच्च अधिकारियों द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर निर्देश देने के निर्णय के कारण पारित किया गया है, जो अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं।

11. याचिकाकर्ता के वकील की पहली दलील में कोई दम नहीं है। यह देखा जाएगा कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) से (7) में रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन के साथ सहकारी समिति के समामेलन या विभाजन का प्रावधान है यदि सोसाइटी की सामान्य सभा इस आशय का प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पारित करती है। धारा 13 की उप-धारा (3) के तहत उक्त संकल्प में स्थानांतरण, विभाजन या समामेलन के सभी विवरण शामिल होने चाहिए, जैसा भी मामला हो। उपधारा (4) में यह प्रावधान है कि जब किसी सहकारी समिति ने ऐसा कोई संकल्प पारित किया है, तो वह अपने सभी सदस्यों और लेनदारों को लिखित में सूचना देगी और इसके विपरीत किन्हीं उप-कानूनों या संविदाओं के बावजूद, कोई सदस्य या लेनदार, उसे नोटिस दिए जाने की तारीख से एक महीने की अवधि के दौरान, उसके शेयर, जमा या ऋण को वापस लेने का विकल्प है, जैसा भी मामला हो। उपधारा (5) में प्रावधान है कि कोई भी सदस्य या लेनदार, जो उप-धारा (4) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, उसे संकल्प में निहित प्रस्ताव पर सहमति माना जाएगा। उप-धारा (6) समय प्रदान करती है जब उक्त संकल्प प्रभावी हो जाता है। उप-धारा (7) में यह भी प्रावधान है कि पूर्व उप-धारा के अनुपालन में सहकारी समिति द्वारा पारित संकल्प, बिना किसी आश्वासन के हस्तांतरणी में परिसंपत्तियों और देनदारियों को निहित करने के लिए पर्याप्त होगा।

12. हरियाणा राज्य विधानमंडल ने 1971 के अधिनियम संख्या 13 द्वारा अधिनियम की धारा 13 की उप-धाराओं (8) से (12) को अधिनियमित किया, जो इस प्रकार हैं:-

(8) जहां रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट है कि समाज या समितियों के हित में यह आवश्यक या वांछनीय है, कि दो या दो से अधिक समितियों को समामेलित किया जाए या किसी भी सोसाइटी को दो या अधिक समितियों के रूप में विभाजित किया जाए, तो, यहां निहित किसी भी बात के

बावजूद, रजिस्ट्रार वित्तपोषण संस्था से परामर्श करने के बाद, यदि कोई हो, उन समितियों के समामेलन या विभाजन का प्रावधान कर सकता है; एकल समाज में, या ऐसे संविधान, संपत्ति, अधिकारों, हितों, देनदारियों, कर्तव्यों और दायित्वों वाले समाजों में, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है: -

(9) इस धारा के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि-

(a) प्रस्तावित आदेश की एक प्रति सोसायटी या संबंधित प्रत्येक सोसायटी को ड्राफ्ट में भेजी गई है;

(b) रजिस्ट्रार ने मसौदा आदेश पर विचार किया है और उसमें ऐसे संशोधन किए हैं जो उन्हें उन सुझावों और आपत्तियों के आलोक में वांछनीय प्रतीत हो सकते हैं जो उन्हें ऐसी अवधि के भीतर प्राप्त हो सकते हैं, जो उस तारीख से कम से कम दो महीने के भीतर हो सकते हैं जिस तारीख को पूर्वोक्त आदेश की प्रति सोसायटी को प्राप्त हुई थी। जैसा कि रजिस्ट्रार इस संबंध में निर्धारित कर सकता है, या तो सोसायटी से या उसके किसी सदस्य या सदस्यों के वर्ग से, या किसी लेनदार या लेनदारों के वर्ग से।

(10) उपधारा (8) में निर्दिष्ट आदेश में ऐसे आनुषंगिक, परिणामी और पूरक प्रावधान हो सकते हैं, जो रजिस्ट्रार की राय में, समामेलन या विभाजन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों।

(11) समामेलित या विभाजित की जाने वाली प्रत्येक सोसायटी का प्रत्येक सदस्य या लेनदार, जिसने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर समामेलन या विभाजन की योजना पर आपत्ति की है, समामेलन या विभाजन के आदेश के मुद्दे पर निर्धारित अवधि के भीतर, अपना हिस्सा या ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि वह सदस्य है, और यदि वह लेनदार है, तो उसके बकाये की संतुष्टि में राशि।

13. उपधारा (8) के अधीन आदेश जारी करने पर, इस धारा में निहित प्रावधान, इस प्रकार समामेलित या विभाजित समाजों पर लागू होंगे जैसे कि वे इन प्रावधानों के तहत समामेलित या विभाजित थे, और समामेलित या विभाजित समाज के लिए।अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) को पढ़ने से पता चलता है कि विधायिका ने सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के समामेलन या विभाजन का आदेश पारित करने के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को पर्याप्त दिशा-निर्देश दिए हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 8 के तहत, रजिस्ट्रार को सहकारी समिति को पंजीकृत करने की शक्तियां दी गई हैं और इस बात पर विचार करते समय कि क्या सहकारी समिति को पंजीकृत करने का आदेश दिया जाना चाहिए या नहीं, उन्हें इस बात पर विचार करना है कि प्रस्तावित समिति की सफलता की उचित संभावना है या नहीं। धारा 13 को विधायिका द्वारा सहकारी समितियों को नया रूप देने के लिए उपचारात्मक उपायों का पता लगाने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया है, जिन पर उस धारा के प्रावधान लागू हो सकते हैं। धारा 13 की उप-धारा (1) से (सहकारी समितियों के स्वैच्छिक समामेलन, परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण और विभाजन के साथ) से संबंधित है, जबकि हरियाणा राज्य विधानमंडल ने धारा 13 की उप-धाराओं (8) से (12) को लागू करके रजिस्ट्रार को उसी उद्देश्य को प्राप्त करने की शक्ति दी है जिसे सोसाइटी के सदस्य धारा 13 की उप-धारा (1) से (7) के प्रावधानों के अनुसार स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। चीजों की प्रकृति में, विधायिका अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) में प्रदान की गई मार्गदर्शिकाओं की तुलना में कोई और मार्गदर्शिका-रेखा प्रदान नहीं कर सकती है। इस धारा के तहत कोई आदेश पारित करने से पहले रजिस्ट्रार को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि समाज या समाजों के हित में यह आवश्यक या वांछनीय है, कि दो या दो से अधिक समितियों को समामेलित किया जाए, या किसी भी समाज को दो या दो से अधिक समितियों के निर्माण के लिए विभाजित किया जाए। हमारी सुविचारित राय में, विधायिका द्वारा पर्याप्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं, और संबंधित समितियों के संविधान, संपत्ति, अधिकारों, हितों, देनदारियों, कर्तव्यों और दायित्वों और उपर्युक्त मार्गदर्शिकाओं को ध्यान में रखते हुए, रजिस्ट्रार किसी विशेष मामले में एक राय बना सकता है कि इस उप-धारा के तहत आगे बढ़ना है या नहीं।

14. विद्वान वकील की यह दलील कि चूंकि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के तहत पारित रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ कोई अपील प्रदान नहीं की गई है, इसलिए, उक्त प्रावधान मनमाने हैं, फिर से बिना किसी मेरिट के है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अपील का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और विधायिका, किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में, अपने विवेक से, अर्ध-न्यायिक प्रकृति

के आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान कर सकती है और किसी अन्य मामले में, अपील का उक्त उपाय उपलब्ध नहीं हो सकता है। यदि इस संबंध में किसी प्राधिकरण की आवश्यकता है, तो संदर्भ दिया जा सकता है ***सरवन सिंह, आदि पंजाब राज्य और अन्य.***[1] इसलिए, विद्वान वकील का पहला तर्क बिना किसी कारण के है.

15. विद्वान वकील की दूसरी दलील स्वीकार की जानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उप-खंड (ए) के तहतअधिनियम की धारा 13 की धारा (9) के अनुसार, प्रस्तावित आदेश की एक प्रति सोसायटी या प्रत्येक संबंधित सोसायटी को ड्राफ्ट में भेजी जानी चाहिए, लेकिन इस धारा का उप-खंड (बी) किसी सदस्य या समाज के सदस्यों के एक वर्ग को, या किसी सोसाइटी के लेनदार या लेनदारों के वर्ग को प्रस्तावित समामेलन पर आपत्तियां उठाने का अधिकार देता है। या का विभाजन। सोसाइटी, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (11) संबंधित सोसायटी के प्रत्येक सदस्य या लेनदार को, जिसने समामेलन या विभाजन की योजना पर आपत्ति जताई थी, जैसा भी मामला हो, समामेलन या विभाजन के आदेश के मुद्दे पर निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त करने का अधिकार देता है। यदि वह सदस्य है तो उसका हिस्सा या ब्याज, और यदि वह लेनदार है, तो उसके बकाया की संतुष्टि में राशि। धारा 13 की उप-धारा (9) के उप-खंड (बी) और धारा 13 की उप-धारा (1) अनिवार्य प्रावधान हैं जो समितियों के सदस्यों और लेनदारों को पारित किए जाने वाले आदेश से प्रभावित होने के लिए एक मूल्यवान अधिकार प्रदान करते हैं; अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) और उक्त अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है यदि सदस्यों और लेनदारों को मसौदे में भेजे गए प्रस्तावित आदेश की प्रति प्रदान नहीं की जाती है ताकि वे अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (9) के उप-खंड (बी) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्तियां उठाने की स्थिति में हों। 1975 के हरियाणा अध्यादेश संख्या 7 द्वारा, नोटिस की न्यूनतम अवधि को दो महीने से घटाकर पंद्रह दिन कर दिया गया है, लेकिन तथ्य यह है कि यह एक न्यूनतम अवधि है जो सोसाइटी, उसके सदस्यों को दी गई है। और इसके लेनदारों को समाज के प्रस्तावित समामेलन या विभाजन पर आपत्तियां उठानी चाहिए। में इसके अतिरिक्त, विधायिका ने उप-धारा के तहत आगे प्रावधान किया है (8) के तहत इस उपधारा के तहत पारित आदेश से प्रभावित होने वाली सोसाइटियों के वित्तपोषण संस्थानों के परामर्श के लिए। धारा 13 की उप-धारा (11) ने किसी सोसाइटी के सदस्य या लेनदार को अपनी सदस्यता से वापस लेने या अपनी जमा राशि वापस लेने का विकल्प दिया है, जैसा भी मामला हो, केवल तभी जब उक्त सदस्य या लेनदार ने अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (9) के खंड (बी) के तहत निर्धारित समय के भीतर आपत्तियां दर्ज की हों। मसौदा या जैसा कि उसे किसी भी सुझाव और आपत्तियों के प्रकाश में वांछनीय प्रतीत हो सकता है जो उसे निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त किया जा सकता है। सोसायटी या ऐसे किसी सदस्य या उसके सदस्यों के वर्ग से या किसी लेनदारों या लेनदारों के वर्ग से।

16. इसे विद्वान अतिरिक्त अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया था हरियाणा राज्य की ओर से पेश हुए जनरल ने कहा कि के तहत कार्यवाही अधिनियम की धारा 13 की उप-धाराएं (8) से (12) अर्ध-न्यायिक प्रकृति की हैं। यह भी विवादित नहीं हो सकता है कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुरक्षित करना है या इसे नकारात्मक रूप से रखना है, न्याय के गर्भपात को रोकना है। ये नियम केवल उन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं जो वैध रूप से बनाए गए कानून द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक न्याय के नियम देश के कानून की जगह नहीं लेते हैं, बल्कि इसके पूरक हैं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। ***ए. के. क्राइपक और अन्य भारत संघ और अन्य***,[2] अधिनियम की धारा (9) की उप-धारा (बी) और धारा 13 की उप-धारा 11 के प्रावधान सोसाइटी, उसके सदस्यों और लेनदारों को एक मूल्यवान अधिकार प्रदान करते हैं कि वे आपत्तियां उठाएं और सोसाइटी से सदस्य के रूप में हटने का मन बनाएं या लेनदारों के रूप में जमा की गई राशि को वापस लें। यदि सोसायटी स्वयं समामेलन या विभाजन का निर्णय लेती है, तो सदस्यों और लेनदारों को भी वही अधिकार उपलब्ध कराया गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धाराओं (1) से (7) के प्रावधानों से स्पष्ट है। उपर्युक्त संदर्भित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाना चाहिए कि समाज को सक्षम बनाने के लिए, इसके सदस्यों और लेनदारों को इस तरह दिए गए अधिकार का लाभ उठाने के लिए, प्रस्तावित आदेश की एक सूचना सोसाइटी, उसके सदस्यों और लेनदारों को दी जानी चाहिए। हम जो दृष्टिकोण अपना रहे हैं, उसे उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय से समर्थन

---

[1] ए.आई.आर. 1975 सुप्रीम कोर्ट 394.

[2] ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 150.

प्राप्त है। ***गोविंदपुट कृषि ऋण सहकारी समिति और एक अन्य वी. सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बालासोर सर्कल और एक अन्य.***[3] उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों में सदस्यों या लेनदारों को नोटिस देने का प्रावधान नहीं है। मामले का निपटान कर रहे विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जहां एक सांविधिक प्राधिकरण को दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष पर पहुंचना होता है, उसे उन लोगों को एक अवसर देना होता है जिनके प्रभावित होने की संभावना होती है। इस प्रकार यह माना गया कि सदस्य और लेनदार नोटिस के हकदार हैं ताकि वे प्रस्तावित समामेलन या विभाजन पर आपत्ति कर सकें। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम पाते हैं कि समाजों के वित्तपोषण संस्थानों के साथ परामर्श के अलावा दुश्मन को परेशान करना है। अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के तहत पारित एक आदेश से प्रभावित, सोसाइटी, उसके सदस्य और लेनदार भी मसौदे में भेजे गए प्रस्तावित आदेश की प्रति के हकदार हैं ताकि वे कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर आपत्तियां उठा सकें और वे इससे हटने का मन बना सकें; समितियों के लेनदारों द्वारा की गई जमा राशि को सदस्यता या वापस लेना, जैसा भी मामला हो।

17. याचिकाकर्ता के वकील की तीसरी दलील भी सही है। जैसा कि स्पष्ट है, अधिनियम के प्रावधानों की योजना, प्रस्तावित आदेश की प्रति, सोसायटी, उसके सदस्यों या लेनदारों पर मसौदे में आदेश देने का पूरा उद्देश्य, उन्हें समाज से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार करने के बाद आपत्तियां या सुझाव उठाने का एक प्रभावी अवसर प्रदान करना है, जिसके साथ सोसाइटी को समामेलित करने का प्रस्ताव है और समाज से संबंधित ऐसे अन्य प्रासंगिक मामले। समामेलित या विभाजित। अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के तहत पारित आदेश में अस्तित्व में आने वाले समाज या समाजों के संविधान, संपत्ति, अधिकार, हित, देनदारियों, कर्तव्यों और दायित्वों का प्रावधान करना है। प्रस्तावित आदेश की एक प्रति में आदेश से प्रभावित होने वाली सोसायटी या सोसाइटियों के बारे में यह सारी जानकारी भी होनी चाहिए। इन मामलों से सोसायटी या उसके सदस्यों या लेनदारों को अवगत कराए जाने के बाद ही वे आपत्तियां उठाने और सुझाव देने और सदस्यता से हटने या अपनी जमा राशि वापस लेने का मन बनाने की स्थिति में हो सकते हैं। यदि संबंधित समाज या समाजों के संविधान, संपत्ति, अधिकारों, हितों, देनदारियों, कर्तव्यों और दायित्वों से संबंधित प्रासंगिक सामग्री को ज्ञात नहीं किया जाता है, तो प्रावधानों के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोई प्रभावी आपत्ति नहीं है और सुझाव सोसायटी, उसके सदस्यों या लेनदारों द्वारा किए जा सकते हैं। हमने याचिकाकर्ता-सोसायटी के प्रतिनिधियों द्वारा कथित रूप से उठाए गए लिखित बयान में उल्लिखित आपत्तियों को सहायक रजिस्ट्रार के समक्ष जानबूझकर पुन: प्रस्तुत किया है, ताकि यह दिखाया जा सके कि संविधान, संपत्ति, अधिकार, हित, देनदारियों, कर्तव्यों और दायित्वों आदि के बारे में सामग्री, विलय आदेश में शामिल समितियों के बारे में प्रस्तावित आदेश में उल्लेख नहीं किया गया है। सहायक रजिस्ट्रार द्वारा उक्त जानकारी सोसाइटी के कथित प्रतिनिधियों को प्रदान की जानी थी, जो सहायक रजिस्ट्रार के अनुसार, संतुष्ट महसूस करते थे जब ऐसी सभी जानकारी उनके संज्ञान में लाई गई थी। इसलिए, हमारी राय है कि आक्षेपित आदेश, जिनकी प्रतियां रिट याचिका के अनुलग्नक 'पी -3' और 'पी -5' हैं, रद्द करने योग्य हैं, क्योंकि वे अधिनियम की धारा 13 की उपधाराओं, (8) और (9) के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने में विफल रहते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता सोसाइटी को कोई विस्तृत सामग्री नहीं दी गई है ताकि प्रभावी आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकें।

18. लगाए गए आदेश किसी अन्य आधार पर भी रद्द किए जाने योग्य हैं। अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की योजना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि रजिस्ट्रार को किसी समाज या समाज के तथ्यों और परिस्थितियों पर इस दृष्टि से विचार करना होगा कि किसी समाज या समाज के हित में यह आवश्यक या वांछनीय है कि दो या दो से अधिक समाजों का विलय किया जाए या किसी भी समाज को विभाजित कर दो या दो से अधिक समितियां बनाई जाएं। वर्तमान मामले में, जैसा कि स्पष्ट है, सहकारी समितियों पर केंद्रीय समिति के निर्णय को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के कारण आक्षेपित आदेश पारित किए गए हैं और समामेलन का आदेश देने के लिए फैसले के पहले भाग में उल्लिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया था। याचिका में विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए निर्देशों के मद्देनजर कृषि सेवा समितियों की संख्या लगभग 6600 से घटाकर लगभग 2000 करने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है, आक्षेपित आदेश पारित किए गए हैं। रिटर्न से ही यह तथ्य भी स्पष्ट हो जाता है। अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के तहत अधिकार के साथ निहित रजिस्ट्रार को विधायिका द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने

[3] ए.आई.आर. 1973 उड़ीसा 148.

दिमाग का प्रयोग करना होगा और उच्च अधिकारियों द्वारा विचार पर ऐसी शक्ति का उपयोग करने के लिए निर्देशित नहीं किया जाना है जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है, सहकारी समितियों पर केंद्रीय समिति द्वारा निर्धारित कुछ दिशानिर्देश सहकारी विभाग के पदानुक्रम द्वारा समितियों के बेहतर प्रशासन के लिए सहायक होते हैं, लेकिन उक्त दिशानिर्देशों में से कुछ अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) में विधायिका द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं। उदाहरण के लिए, पटवार सर्कल में एक सहकारी समिति होने के दिशानिर्देश का धारा 13 की उप-धारा (8) में दिए गए दिशानिर्देशों से कोई लेना-देना नहीं है। चूंकि लागू किए गए आदेश कुछ दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तहत पारित किए गए हैं, जो अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए उक्त आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं।

19. ऊपर दर्ज कारणों के लिए, इस रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और आक्षेपित आदेश, जिनकी प्रतियां रिट याचिका के साथ अनुलग्नक 'पी -3' और 'पी -5' हैं, को रद्द किया जाता है। रजिस्ट्रार कानून के अनुसार मामले के साथ आगे बढ़ सकता है यदि वह याचिकाकर्ता-सोसायटी को मिलाने का फैसला करता है। हालांकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

हरबंस लाल, जे-मैं पूरी तरह से सहमत हूं और मेरे पास जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है।

एन.के.एस.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जिज्ञासा शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी